

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1920 /2019 दिनांक 30.09.2019

श्रीमती रीतु चौधरी (RJ0749), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर को दिनांक 09.10.2019 से 24.10.2019 तक 16 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.10.2019 से 08.10.2019 एवं 25.10.2019 से 29.10.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

 30.9.19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/32/2013/ 9208

दिनांक 30.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 9856 दिनांक 21.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रीतु चौधरी (RJ0749), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर ।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर ।

 20/9/19
सहायक रजिस्ट्रार